उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-162/2023 /1128/41-2023-17 (जि0यो0)/2023
लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2023

संख्या-113/2023/686/001-41-2023-17(जि0यो0)/2021, दिनांक 20 फरवरी, 2023

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 8883/7-1-1(जि0यो0)/मू0पत्रा0/2022-23, दिनांक 23 फरवरी, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र अतरौलिया के वि0ख0 कोयलसा में गौरा स्थित प्रथमदेय सिद्धपीठ धाम स्थल के पर्यटन विकास एवं जनपद आजमगढ़ शहर में स्थित प्राचीन इमामबाड़ा के पर्यटन विकास कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-113/2023/686/001-41-2023-17(जि0यो0)/2021, दिनांक 20 फरवरी, 2023 के पृष्ठांकन के कतिपय बिन्दुओं के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन एततद्वारा अंकित किया जाता है:-

क्र0 सं0	बिन्दु संख्या	प्रतिलिपि में अंकित बिन्दु	पढ़े जाने वाले बिन्दु
1	4	मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।	मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
2	5	वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ।	अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर
3	8	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर/ आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, गोरखपुर।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2023 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4. **मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।**
5. **अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर।**
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
8. **क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, गोरखपुर।**
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-आजमगढ़।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in